

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड  
(समक्ष: पी०सी०आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 40/2011

संस्थित दिनांक-25/01/2011

फाईलिंग नंबर-230303001142011

रामनाथ पुत्र हरीराम बाथम उम्र 32 वर्ष  
निवासी ग्राम लिघौरा थाना डबरा जिला  
ग्वालियर मध्यप्रदेश।

-----अपीलार्थी/आरोपी

## वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला-भिण्ड (म०प्र०) -----प्रत्यर्थी/अभियोगी

राज्य द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल अपर लोक अभियोजक  
अपीलार्थी/आरोपी द्वारा श्री के०सी०उपाध्याय अधिवक्ता

न्यायालय-श्री सुशील कुमार, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक  
प्रकरण क्रमांक-297/2002 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक  
29/12/2010 से उत्पन्न दांडिक अपील।

## -:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 11 मार्च, 2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी/आरोपी रामनाथ की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द०प्र०सं० 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री सुशील कुमार द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 297/2002 इ०फौ० में पारित निर्णय एवं दण्डाज्ञा दिनांक-29/12/2010 से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा-304 (ए) भा०दं०सं० में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था।

2. उक्त दांडिक अपील में यह निर्विवादित तथ्य है कि अपीलार्थी/आरोपी रामनाथ पेशे से ड्रायवर है।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि घटना दिनांक 22.06.2002 को मृतक राजेन्द्र सिंह यादव के भाई राजबीरसिंह यादव ने दिन के 04:30 बजे थाना मालनपुर में विनोद माथुर मेट्सन फैक्ट्री मालनपुर के कर्मचारी के साथ जाकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की, कि उसका भाई राजेन्द्र सिंह यादव सुरपसेक फैक्ट्री से स्कूटर से मेट्सन फैक्ट्री आ रहा था। तनुजा फैक्ट्री से फोन पर राजबीरसिंह को यह सूचना मिली कि राजेन्द्र सिंह का एक्सीडेंट हो गया है तब वह मौके पर

पहुँचा तो उसका भाई राजेन्द्रसिंह मेटल्स फेक्ट्री चौराहे पर मृत अवस्था में पड़ा था और उसका स्कूटर भी वहीं टूटा हुआ बगल में पड़ा था तथा डम्फर क्रमांक एम.पी. 07 जी. 2993 के चालक ने डम्फर को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके भाई में टक्कर मारी थी जिससे उसके भाई की मौत हो गई थी। बाद में उनके गाँव के महेन्द्रसिंह, नरेश आदि भी पहुँच गए थे जिन्होंने घटना को देखा था।

4. राजवीरसिंह की मौखिक रिपोर्ट पर से थाना मालनपुर में डम्फर क्रमांक एम.पी. 07 जी. 2993 के चालक के विरुद्ध धारा 304—ए भा0दं0सं0 के तहत अपराध क्रमांक— 79/2002 का पंजीबद्ध कर बाद विवेचना अभियोगपत्र सक्षम जे0एम0एफ0सी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहाँ आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 304—ए भा0दं0सं0 के तहत अपराध विवरण तैयार कर अपराध की विशिष्टियाँ उसे पढ़कर सुनाई समझाई गई अस्वीकार करने पर विचारण करते हुए गुण दोषों पर प्रकरण का निराकरण कर धारा 304—ए भा0दं0सं0 अपराध के लिए दोषसिद्धि मानकर एक वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जिससे व्यथित होकर उक्त दांडिक अपील प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील ज्ञापन मुताबिक यह आधार लिया गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी/आरोपी को दोषसिद्ध ठहराए जाने और दण्डित किये जाने में विधि के सुस्थापित सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है तथा विद्वान न्यायालय के द्वारा उचित रूप से विवेचन न कर दोषसिद्धि करने में विधिक भूल की है, क्योंकि फरियादी राजवीरसिंह अ0सा0 4 जो कि मृतक का भाई है, उसके द्वारा न्यायालय में दिए कथन में ट्रक का कोई नम्बर नहीं बताया है न ही वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, जबकि उसके मुताबिक मौके पर डम्फर खड़ा होना देखा गया था किन्तु मात्र पुलिस द्वारा घटना दिनांक को मौके पर जप्ती की कार्यवाही नहीं की गई और तीन दिन बाद आरोपी के कब्जे से डम्फर जप्त करना बताया गया है जिससे अभियोजन कहानी शंकास्पद है तथा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी से कोई समर्थन नहीं है और अभियोजन साक्षी क्रमांक 7 मदनमोहन की साक्ष्य का कोई महत्व नहीं है जिसके आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोषसिद्ध आधारित की है, जबकि अ0सा0 7 ने प्रतिपरीक्षण में मुख्य परीक्षण का खण्डन किया है जिसे कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दृष्टि ओझल किया गया है और दी गई दण्डाज्ञा पूर्णतः विधि विरुद्ध है, इसलिए प्रस्तुत दांडिक अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं दण्डाज्ञा को अपास्त कर अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जावे और अर्थदण्ड वापस दिलाया जावे।

6. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :—

1— “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?”

2— क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

7. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया, उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर चिन्तन मनन किया गया, परिस्थितियों पर विचार किया गया। आलोच्य निर्णय का भी अध्ययन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभियोजन की साक्ष्य को विश्वसनीय मानकर धारा 304 ए भा0दं0सं0 का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित मानते हुए दोषसिद्धि कर दंडाज्ञा अधिरोपित की है। विद्वान ए.जी.पी. ने तर्कों में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य सुदृढ़ एवं विश्वसनीय मानते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि साक्ष्य के अनुरूप एवं दी गई दंडाज्ञा घटना की प्रकृति के अनुकूल बताते हुए दांडिक अपील को अपास्त किए जाने की प्रार्थना की है। जबकि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्कों में अपील ज्ञापन में उठाए गए बिन्दुओं के अलावा यह भी मौखिक तर्क रहा है कि अ0सा0 1 के द्वारा घटना नहीं देखी गई है और न ही उसे वाहन चालक का नाम पता मालूम है, न ही डम्फर का क्रमांक पता है, बल्कि वह घटना के 15—20 दिन बाद पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कथन देना बताता है तथा अ0सा0 4 अनुश्रुत साक्षी है उसके द्वारा घटना के तीन दिन बाद प्र.पी. 5 और 6 पर थाने में हस्ताक्षर करना बताया गया है। डम्फर तीन दिन बाद जप्त होने का कोई स्पष्टीकरण विवेचक के द्वारा नहीं दिया गया है तथा अ0सा0 7 अपने मुख्य परीक्षण पर स्थिर नहीं है और विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सम्पूर्ण कथन के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, जबकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मुख्य परीक्षण के आधार पर ही निष्कर्ष निकालकर साक्षियों को विश्वसनीय माना है और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है कि मृतक जो कि स्कूटर से जा रहा था उसकी कोई दुर्घटना में उपेक्षा या त्रुटि न रही हो। जिस वाहन से दुर्घटना होना बताई है उसका क्रमांक भी साक्षियों के कथनों में भिन्न-भिन्न आया है। इसलिए घटना पूरी तरह से संदिग्ध है और अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाए।

8. दांडिक अपील के संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि अपील न्यायालय के द्वारा साक्ष्य का विवेचन करना होता है जैसे कि न्यायिक दृष्टांत **म0प्र0 राज्य वि0 बल्लोर उर्फ रामगोपाल 2006 भाग-1 म0प्र0 विधि भास्कर पेज-1** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मार्गदर्शित किया गया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आई साक्ष्य का मूल्यांकन और विश्लेषण करना होगा।

9. परीक्षित साक्षियों में से डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा0 2 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 23.06.2002 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए थाना मालनपुर की ओर से मृतक राजेन्द्रसिंह पुत्र जगतसिंह यादव निवासी बडागाँव मुरार का शव परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसका शव परीक्षण करना बताते हुए यह कहा कि मृतक सामान्य कद काठी का था जिसके दाहिने वखा और उसके नीचे 7 गुणा 5 से.मी. आकार के रगड के निशान, दाहिने कूल्हे के ऊपर 3 गुणा 5 से.मी. रगड के निशान, बाईं जॉघ पर फटा हुआ घाँव 12—10 गुणा 2 से.

मी. आकार का था और मृतक के शरीर में अकडन मौजूद थी। आंतरिक परीक्षण करने पर उसकी चौथी, पांचवी और छंटवी पसली टूटी हुई थी, दाहिना फेंफड़ा फटा हुआ था, हृदय के दोनों चेम्बर खाली थे, मृतक की मृत्यु अत्यधिक रक्त स्त्राव होने के कारण शॉक की स्थिति में आने से हुई थी जो कि रक्त स्त्राव पसली के टूटने और फेंफड़े के फट जाने के कारण हुई थी जिसकी उसने प्र.पी. 3 की शव परीक्षण रिपोर्ट तैयार की थी।

10. अ0सा0 2 के मुताबिक मृतक राजेन्द्रसिंह की मृत्यु शव परीक्षण करने के 24 घण्टे के भीतर होनी बताई गई है और सुझाव दिए जाने पर यह संभावना भी व्यक्त की है कि यदि कोई व्यक्ति किसी छत से नीचे गिरे तो मृतक को आई चोटें आना संभव है और जिससे भी मृत्यु संभव है, किन्तु अभिलेख पर अन्य किसी साक्षी को इस बावत् कोई सुझाव नहीं दिया गया है न ही अभिलेख पर ऐसे कोई तथ्य, परिस्थितियाँ हैं जिससे मृतक राजेन्द्र सिंह का किसी मकान की छत पर से गिरने से उक्त चोटें आना प्रकट होती हो। प्र.पी. 3 के शव परीक्षण प्रतिवेदन मुताबिक मृतक का शव सुबह 08:40 बजे दिनांक 23.06.2002 को शव परीक्षण किया गया था और उसकी मृत्यु का कारण शरीर में चोटें और उससे हुए रक्त स्त्राव को बताया गया है जिससे मृतक राजेन्द्र सिंह की मृत्यु दुर्घटनात्मक स्वरूप की होनी चिकित्सीय साक्ष्य से परिलक्षित होती है।

11. अब प्रकरण में यह देखना होगा कि क्या मृतक राजेन्द्रसिंह की हुई मृत्यु कथानक मुताबिक बताई गई सड़क दुर्घटना में हुई और क्या अपीलार्थी/आरोपी रामनाथसिंह के द्वारा ही दुर्घटनाकारी बताए गए डम्फर क्रमांक एम.पी. 07 जी. 2993 को उपेक्षा पूर्वक या उतावलेपन से चलाकर घटित की गई? यह अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य व तथ्य, परिस्थितियों के आधार पर विश्लेषित करना होगा।

12. अन्य परीक्षित साक्षियों में रिपोर्टकर्ता और मृतक के भाई राजवीरसिंह अ0सा0 4 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि उसका भाई राजेन्द्रसिंह सुपरसेक फैक्ट्री से स्कूटर से मेटसन फैक्ट्री से आ रहा था। मेटल्स फैक्ट्री चौराहे पर रोड पर डम्फर से एक्सीडेंट हो गया था। डम्फर वाला डम्फर को तेजी व लापरवाही से चलाकर ला रहा था। उसे फोन से जानकारी मिली थी तब वह मोके पर गया था और उसने अपने भाई को मृत अवस्था में पड़ा देखा था, स्कूटर भी वही टूटा पड़ा था। डम्फर क्रमांक एम. पी. 06— 2993 था जिसकी उसने प्र.पी. 5 की एफ.आई.आर की थी और पुलिस ने घटना स्थल का प्र.पी. 6 का नक्शा बनाया था। दोनों पर उक्त साक्षी ने अपने हस्ताक्षर भी बताये हैं। प्रतिपरीक्षण में उसने घटना दिन के साढ़े तीन चार बजे की बताते हुए यह कहा है कि जहाँ पर वह काम करता है वहाँ से तीन सौ गज की दूरी पर घटना हुई थी। उसे फोन से सूचना मिली थी, किसने सूचना दी थी यह वह नहीं बता सकता। डम्फर को कौन चला रहा था यह भी उसे मालूम नहीं है। मौके पर पहुंचकर पुलिस को उसने बुलवाया था फिर पुलिस आई थी करीब दो घण्टे वह घटना स्थल पर रहा था उसके बाद लाश को पी0एम के लिए गोहद लाये थे और पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार हुआ था। थाने पर घटना वाले दिन वह नहीं गया था तीसरे दिन गया था तब उसके प्र.पी. 5 और 6 पर हस्ताक्षर कराए गए थे। पुलिस ने क्या लिखा या उसने पड़ा नहीं था। डम्फर उसके भाई के पास में ही दूरी पर खड़ा था।

13. उक्त साक्षी के संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विश्वसनीय माना गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उस पर इस आधार पर विश्वास किए जाने पर आपत्ति की गई कि वह अनुश्रुत साक्षी है, फोन पर उसे किसने सूचना दी यह भी उसके द्वारा नहीं बताया गया है।

14. अ0सा0 4 के अभिसाक्ष्य के संदर्भ में अभियोजन के कथानक पर विचार किया गया। प्र.पी. 5 की एफ.आई.आर. मुताविक राजवीरसिंह को तनुजा फैक्ट्री से फोन पर बताया गया था कि राजेन्द्रसिंह का एक्सीडेंट हो गया है तब वह मौके पर दौड़कर पहुँचा था। ऐसे में राजवीर को फोन किस के द्वारा किया गया उसका स्पष्टीकरण न आने के आधार पर उसके अभिसाक्ष्य को अग्राह्य नहीं किया जा सकता है। यह सही है कि अ0सा0 4 ने स्वयं घटना नहीं देखी है न ही उसने डम्फर के चालक को देखा है। हालांकि वह मौके पर करीब दो घण्टे घटना वाले दिन घटना के पश्चात् उपस्थिति रहा और उसने डम्फर को वहाँ देखा। जहाँ तक डम्फर के रजिस्ट्रेशन क्रमांक में भिन्नता का प्रश्न है कि अ0सा0 4 डम्फर का क्रमांक एम.पी. 06— 2993 बताता है और अभियोजन कथानक मुताविक डम्फर का क्रमांक एम.पी. 07 जी. 2993 है। इस संदर्भ में अभियोजन के दस्तावेजों की ओर ध्यान आकृष्ट किये जाने पर यह प्रकट होता है कि पुलिस द्वारा किये गए अनुसंधान और एफ.आई.आर. में डम्फर के क्रमांक में जो अंक अंकित किया गया है वे हिन्दी वर्णमाला के हिसाब से लिखे गए हैं, शब्द एम.पी. और जी अंग्रेजी में लिखे हैं और हिन्दी के अंक सात को अंग्रेजी में छः के अनुरूप देखा जाता है। संभवतः इसी कारण साक्षी के अभिसाक्ष्य में डम्फर के क्रमांक में एम.पी. 06 अंकित हुआ है जिसे कि तात्विक विरोधाभास नहीं माना जा सकता है और अ0सा0 4 के अन्य अभिसाक्ष्य में कोई विरोधाभास या विसंगति नहीं है। डम्फर क्रमांक एम.पी. 07 जी. 2993 के बारे में घटना दिनांक को मालनपुर क्षेत्र में न चलाए जाने की बात डम्फर स्वामी मदनमोहन अ0सा0 7 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में बताया गया है, किन्तु अ0सा0 7 ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त डम्फर घटना दिनांक को मालनपुर क्षेत्र में नहीं था तो फिर कहाँ गया था। ऐसे में अ0सा0 4 का घटना दिनांक को मौके पर दुर्घटनाकारी डम्फर को देखा जाना से और उसका खण्डन न होने से प्र.पी. 5 का वृत्तांत उसके अभिसाक्ष्य से प्रमाणित माना जाएगा जिससे यह प्रमाणित होता है कि मृतक राजेन्द्रसिंह की जिस दुर्घटना में मृत्यु हुई वह डम्फर क्रमांक एम.पी. 07 जी. 2993 के चालक से हुई। चालक की लापरवाही या उपेक्षा रही यह अभी और देखना होगा।

15. अन्य परीक्षित साक्षियों में महेन्द्र अ0सा0—1 ने अपनी अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह मालनपुर फैक्ट्री में काम करता था और उसके साथ राजवीर, मृतक राजेन्द्र व अन्य लोग भी काम करते थे। राजेन्द्र फैक्ट्री के बाहर निकला और आगे चौराहे पर जाकर उसका एक्सीडेंट हो गया था जो डम्फर से हुआ था। डम्फर को रामनाथ चला रहा था। रामनाथ को वह पहले से नहीं जानता था। टक्कर से मृत्यु हो गयी थी जिसका पुलिस ने पंचनामा प्र0पी0—1 व 2 बनाया था। उसने यह भी स्पष्ट किया है कि मृतक उसका रिश्तेदार नहीं था गांव का होने के नाते वह जानता था।

घटना लंच होने के पहले हुई या बाद में, इसकी उसे जानकारी नहीं है।

16. पैरा-2 में उसका कहना है कि घटना के 15-20 दिन बाद उसे पुलिस ने चालक का नाम बता दिया था जबकि उसने पुलिस को बयान दिया था तब उसे चालक का नाम पता मालूम नहीं था। उसने पुलिस को प्र0पी0-1 का ए से ए एवं बी से बी भाग का कथन लिखाने से इन्कार करते हुए यह कहा है कि घटना होने के 10-15 मिनट बाद वह मौके पर पहुंचा था तब वहाँ पुलिस भी थी और भीड़ भी थी। ऐसा उसने पैरा-3 में बताया है। तथा पैरा-4 में यह भी कहा है कि घटना के समय डंफर खड़ा था। डंफर को पुलिस उसी दिन लेकर चली गई थी। पैरा-4 में उसने यह भी स्वीकार किया है कि जब घटना हुई थी उस समय वह मौके पर नहीं था। इस तरह से उक्त साक्षी के मुताबिक मृतक राजेन्द्र की दुर्घटना डंफर से होना, डंफर को उक्त साक्षी द्वारा मौके पर देखा जाना बताया गया है। उसके मुताबिक डंफर के चालक के संबंध में पुलिस द्वारा उसे जानकारी घटना के 15-20 दिन बाद हुई। इसी आधार पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि उक्त साक्षी के द्वारा घटना नहीं देखी गई है न आरोपी की कोई पहचान की है। इसलिये उक्त साक्षी कतई महत्वपूर्ण नहीं है और उससे इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि अपीलार्थी/आरोपी के द्वारा ही दुर्घटना घटित की गई है न ही उसने डंफर का कोई नंबर बताया है, जैसा कि उसके प्र0डी0-1 के पुलिस कथन में अंकित है।

17. अ0सा0-1 के संपूर्ण अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वह दुर्घटना घटित होने के तत्काल पश्चात मौके पर पहुंचा और उसने राजेन्द्र को मृत अवस्था में देखा। डंफर भी वहाँ देखा गया। प्र0डी0-1 के कथन में डंफर चालक का नाम आया था इसलिये उक्त साक्षी 15-20 दिन बाद चालक का नाम पुलिस से पता चलने की बात जो कहता है उसका कोई विधिक महत्व है और दुर्घटना की पुष्टि तो उससे होती है। दुर्घटना की पुष्टि उक्त साक्षी के अलावा अ0सा0-4 व उत्तमचंद अ0सा0-6 के कथन से भी होती है जिसने प्र0पी0-1 का सफीना फॉर्म और प्र0पी0-2 के लाश पंचायतनामा की कार्यवाही का समर्थन करते हुए राजेन्द्र की मृत्यु एक्सीडेंट में आई चोटों के कारण होना बताया है। दिलीपकुमार अ0सा0-8 जिसे कि अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया था जिसने प्र0पी0-6 का नक्शामौका, प्र0पी0-8 का जप्ती पंचनामा जो कि घटनास्थल पर मृतक के क्षतिग्रस्त स्कूटर के संबंध में बनाया गया था, उसके बाबत समर्थन नहीं किया है। लेकिन उसने इतना अवश्य स्पष्ट रूप से सकारात्मक कथन देते हुए कहा है कि एक्सीडेंट स्कूटर व डंफर में हुआ था और स्कूटर मौके पर डला था जिससे भी दुर्घटना स्कूटर व डंफर की टक्कर से होना प्रमाणित होता है।

18. चूंकि प्र0पी0-5 की एफ0आई0आर0 डंफर क्रमांक- एम0पी0-07जी-2993 के चालक के विरुद्ध लिखाई गई थी और चालक का नाम उस समय तक अज्ञात था। चालक के संबंध में सर्वाधिक महत्व का साक्षी दुर्घटनाकारी वाहन का स्वामी होता है क्योंकि उसे इस बात की जानकारी होती है कि उसके वाहन को कौन चला रहा था। और इस संबंध में प्रकरण में अभियोजन की ओर से डंफर क्रमांक-एम0पी0-07जी-2993 के स्वामी मदनमोहन अ0सा0-7 को परीक्षित कराया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में



दिनांक 14.09.10 को कथन देते हुए यह कहा है कि उसके पास बीस ट्रक हैं और उसका कार्यालय है जिसमें कौन ट्रक पर कौन चलता है, उसका लेखा-जोखा रहता है लेकिन वह उस दिनांक को लेखा जोखा लेकर नहीं आया था। उसने आरोपी रामनाथ की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जाना पैरा-1 में स्वीकार करते हुए यह कहा है कि दिनांक 22.06.02 को ट्रक कौन चला रहा था, यह उसे ध्यान नहीं है।

19. उक्त साक्षी का कथन उक्त दिनांक को लेखा-जोखा साथ लाने के निर्देश के साथ स्थगित किया गया था और फिर उक्त साक्षी का आगामी कथन दिनांक 12.11.10 को हुआ जिसमें उसने आरोपी रामनाथ की प्र0पी0-7 के द्वारा गिरफ्तारी होना बताते हुए कहा है कि पुलिस ने उसका डंपर जप्त किया था जिसका प्र0पी0-4 का जप्ती पत्र बनाया गया था और उसका बयान लिया था जिसमें उसने यह बताया था कि दिनांक 22.06.02 को हॉटलाईन फैक्ट्री से उक्त डंपर को ड्रायवर रामनाथ बाथम चलाकर लाया था और घटना के समय वही चला रहा था। इस आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/आरोपी का दुर्घटनाकारी डंपर का दुर्घटना के समय चालक होना निष्कर्षित किया है और अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अ0सा0-7 के अभिसाक्ष्य को पूरी तरह से दृष्टिओझल किया है और वह विश्वसनीय नहीं था। क्योंकि प्रतिपरीक्षण में उसने उक्त डंपर से दुर्घटना होने, रामनाथ का ड्रायवर होने का पूरी तरह से खण्डन किया था और यहाँ तक कहा है कि बताई गई दुर्घटना दिनांक को उसका डंपर मालनपुर में नहीं चल रहा था जिसे नजरअंदाज किया गया है।

20. यह सही है कि किसी भी साक्षी का मूल्यांकन करने में उसकी संपूर्ण साक्ष्य का अवलोकन किया जाता है। किसी वाक्य विशेष के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। अ0सा0-7 ने मुख्य परीक्षण में तो अभियोजन का समर्थन किया है और अपीलार्थी का दुर्घटनाकारी डंपर का चालक होना बताया है। हालांकि कथन शीट में डंपर के क्रमांक में टंकणीय त्रुटि से भिन्न अंक उल्लेखित हुए हैं जो इसलिये महत्व नहीं रखते हैं क्योंकि जो डंपर दुर्घटनाकारी बताया गया है वह सुपुर्दगी पर भी प्राप्त किया गया है।

21. अ0सा0-7 के प्रतिपरीक्षण को देखा जाये तो उसने पैरा-3 में यह कहा है कि रामनाथ उसके वाहन का ड्रायवर नहीं है क्योंकि उसने उसे ड्रायवर नहीं रखा है और उसके मुताबिक पुलिस ने तीन डंपर उसके थाने पर रख लिये थे फिर उसे बुलाया था और यह कहा था कि उसके डंपर से एक्सीडेंट हुआ है जिस पर उसने यह कहा था कि उसका डंपर आठ दिन से मालनपुर में ही नहीं आया और उसके डंपर से कोई घटना घटित नहीं हुई। पैरा-4 में उसने प्र0डी0-2 का पुलिस को कथन देने से इन्कार करते हुए आरोपी को पहचानने तक से इन्कार करते हुए यह कहा है कि उसकी कंपनी में बीस डंपर हैं, किसी भी डंपर पर रामनाथ ने ड्रायवरी नहीं की है न ही उसने पुलिस को प्र0डी0-2 के कथन में रामनाथ का नाम लिया था। पुलिस ने कहीं से लिख लिया, इसकी उसे जानकारी नहीं है और मुख्य परीक्षण के संबंध में उसका यह कहना है कि पुलिस ने उसके कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे, उसमें कुछ नहीं लिखा था तथा पुलिस ने उससे कहा था कि जो कथन दिया है वही आगे देना और ड्रायवर का नाम

लेना है तब उसकी गाड़ी छोड़ेंगे इसलिये पुलिस के कहे अनुसार उसने कथन दिया था।

22. इस तरह से अ0सा0-7 स्वयं को जिस रूप में प्रकट करता है वह स्वाभाविक नहीं है क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसके बीस डंफर व्यावसायिक रूप से चल रहे हों, वह इतना मासूम नहीं हो सकता है कि पुलिस के कहे अनुसार कुछ भी बयान दे दे। तथा उपर वर्णित दुर्घटनाकारी डंफर के बारे में वह यह कहता है कि आठ दिन से मालनपुर ही नहीं गया था न उससे कोई एक्सीडेंट हुआ। तब उसने उसके संबंध में पुलिस द्वारा लिये गये असत्य कथन बाबत कोई कार्यवाही क्यों नहीं की, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है तथा वाहनों का लेखा-जोखा भी होना वह बताता है। किन्तु दुर्घटना दिनांक को यदि उसका दुर्घटनाकारी डंफर क्रमांक-एम0पी0-07जी-2993 मालनपुर में नहीं गया था तो फिर कहाँ था? इसके बारे में वह मौन है। ऐसे में उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षा में जो तथ्य उसने बचाव पक्ष की ओर से सुझाव देने में सकारात्मक रूप से बताया है वे स्वीकार योग्य नहीं हैं और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिपरीक्षण के तथ्यों को अग्राह्य कर अ0सा0-7 के अभिसाक्ष्य के आधार पर दुर्घटनाकारी वाहन का आरोपी/अपीलार्थी को चालक मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है क्योंकि डंफर की जप्ती और आरोपी की गिरफ्तारी तो खण्डन के अभाव में एक तरह से स्वीकार की गई है। एक्सीडेंट में डंफर की जप्ती का समर्थन पंच साक्षी अ0सा0-3 जण्डैल ने भी अपनी अभिसाक्ष्य में किया है। इससे आरोपी/अपीलार्थी के द्वारा ही दुर्घटना घटित करना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उसे प्रमाणित मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

23. जहाँ तक दुर्घटनास्थल का प्रश्न है, प्र0पी0-6 का नक्शामौका राजवीर की निशादेही पर नरेश व दिलीप के समक्ष बनाया गया है और तनुजा मेटल्स फैक्ट्री के पास आम रास्ते की दुर्घटना बताई गई है। अभियोजन कथानक मुताबिक डंफर चालक की उपेक्षा या उतावलापन दुर्घटना का कारण बताया गया है। और आरोपी/अपीलार्थी की ओर से जो आधार लिया गया है उसमें वह इस तरह का कोई आधार नहीं लेता है कि स्कूटर चालक की कोई त्रुटि थी। जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने अंतिम तर्कों में व्यक्त किया गया बल्कि उसने तो ड्रायवर होने से ही इन्कार किया है। जबकि ड्रायवर होना अ0सा0-7 की अभिसाक्ष्य से प्रमाणित हुआ है। डंफर का मौके पर देखा जाना भी सुसंगत तथ्य है।

24. बचाव पक्ष की ओर से तर्कों में यह भी प्रबलता से आपत्ति ली गई है कि जब दुर्घटना दिनांक को डंफर मौके पर था तो उसी दिन कार्यवाही क्यों नहीं की गई और घटना के चार दिन बाद जप्ती की कार्यवाही की गई है जो कि संदेह उत्पन्न करती है। इस संबंध में अभियोजन के दस्तावेजों का अवलोकन किये जाने पर प्र0पी0-4 के जप्ती पत्र मुताबिक आरोपी/अपीलार्थी से दुर्घटनाकारी डंफर क्रमांक-एम0पी0-07जी-2993 की जप्ती दिनांक 26.06.02 को हुई है। उसी दिन प्र0पी0-7 के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। क्षतिग्रस्त मृतक के स्कूटर की जप्ती प्र0पी0-8 मुताबिक 25.06.02 को हुई थी। तथा दिनांक 25.06.02 को ही प्र0पी0-6 का नक्शामौका तैयार किया गया जिनके संबंध में



घटना के विवेचक रहे तत्कालीन ए0एस0आई0 आर0सी0कर्ण अ0सा0—5 ने अपने अभिसाक्ष्य में भी बताया है जिसने दुर्घटना दिनांक को भी मौके पर सफीना फॉर्म, लाश पंचायतनामा की कार्यवाही करना और मृतक का शव परीक्षण फॉर्म तैयार करना बताया है। तथा उसके बाद वापिस थाने पर आ जाना और अन्य कार्यवाही में लग जाने का कारण स्पष्ट किया है।

25. इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मृतक के भाई के द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट में चालक का नाम नहीं था लेकिन साक्षी महेन्द्र ने आरोपी का नाम बताया था जैसा कि पैरा—2 में उसने स्पष्ट कहा है। पैरा—3 में उसने यह भी स्पष्ट किया है कि घटना के तीन दिन बाद दिनांक 25.06.02 को उसने नक्शामौका बनाया था। घटनास्थल पर किसी का मकान नहीं है, फैक्ट्री एरिया है और फैक्ट्रियों बंद पड़ी थीं। फैक्ट्रियों के अंदर ही लोग रहते हैं। मकान बनाकर नहीं रहते हैं। इस साक्षी से विलंब का कोई कारण नहीं पूछा गया है इसलिये दुर्घटना दिनांक को डंफर की जप्ती और आरोपी की गिरफ्तारी न किये जाने का कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन के मामले पर नहीं पड़ेगा और इस कारण भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है कि प्र0पी0—5 की एफ0आई0आर0 बिना विलंब के लिखाई गई है। उसमें डंफर का स्पष्ट क्रमांक आया है और मौके पर ही उसे देखा गया है। इसलिये ऐसा नहीं माना जा सकता है कि विवेचक ने मनमाने तरीके से कार्यवाही करके डायवर को झूठा फंसाया हो। जैसा कि विवेचक को सुझाव दिया गया था। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर जो अभियोजन की समग्र साक्ष्य है उसके समेकित रूप से मूल्यांकन करने पर इस तथ्य की भी युक्तियुक्त संदेह से परे पुष्टि होती है कि मृतक राजेन्द्र की जिस दुर्घटना में मृत्यु हुई, उस दुर्घटनाकारी डंफर क्रमांक— एम0पी0—07जी— 2993 को आरोपी/अपीलार्थी द्वारा ही चलाया जा रहा था जिसकी उपेक्षा या उतावलेपन का परिणाम दुर्घटना रही। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा—304—ए भा0दं0सं0 के अपराध के लिये आरोपी/अपीलार्थी की की गई दोषसिद्धि साक्ष्य, विधि एवं तथ्य, परिस्थितियों के अनुकूल होकर पुष्टि योग्य है। फलतः दोषसिद्धि के बिन्दु पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन पाई जाती है अतः धारा—304 ए भा0दं0सं0 में की गई दोषसिद्धि की यथावत पुष्टि करते हुए उक्त बिन्दु पर दाण्डिक अपील निरस्त की जाती है।

26. जहाँ तक दण्डाज्ञा का प्रश्न है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी रामनाथ बाथम को एक वर्ष के सश्रम कारावास और 2,000/—रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभिलेख पर आरोपी/अपीलार्थी की पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण न होने से और कोई पूर्वतन आपराधिक रिकॉर्ड न होने से उसके प्रथम अपराधी होने की पुष्टि होती है। तथा उसके द्वारा प्रकरण में निश्चित रूप से उपस्थित रहकर अभियोजन का सामना किया गया है जिसके आधार पर दण्डाज्ञा में नरमी बरते जाने का तर्क किया है और आधार लिया है जिसका विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा विरोध करते हुए दोषसिद्धि भी दुर्घटना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यथावत रखे जाने का निवेदन किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण घटनाक्रम, तथ्य, परिस्थितियों पर विचार किया गया। धारा—304—ए भा0दं0सं0 के अपराध में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **दलवीर सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ**

**हरियाणा 2002 क्रिमिनल लॉ जनरल एस.सी. पेज-2283** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये दण्डादेश, सडक दुर्घटना के बढ़ते मामले और इस तरह के अपराधों से अकाल मृत्यु की बढ़ती दर को देखते हुए दण्डाज्ञा को अनुचित या अविवेकपूर्ण नहीं माना जा सकता है। फलतः दण्डाज्ञा के बिन्दु पर भी दाण्डिक अपील सारहीन मानते हुए दण्डादेश की भी यथावत पुष्टि कर अपील पूर्णतः निरस्त की जाती है।

27. आरोपी/अपीलार्थी के अपील में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

28. आरोपी को न्यायिक निरोध में लेकर सजा भुगताये जाने हेतु उपजेल गोहद भेजा जावे। आरोपी/अपीलार्थी विचारण के दौरान न्यायिक निरोध में नहीं रहा है।

29. जप्तशुदा डंफर पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी मदनमोहन के पास सुपुर्दगी पर है, स्कूटर भी मृतक के परिजनों को वापिस किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है जिसे यथावत रखा जाता है।

30. आरोपी/अपीलार्थी को निर्णय की निःशुल्क प्रति तत्काल दी जावे। एवं एक प्रति डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक: **11 मार्च 2015**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

**(पी.सी. आर्य)**

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

**(पी.सी. आर्य)**

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड